

**डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)**

पत्रांक संख्या: लो०अ०वि०/शैक्ष०/2021/2443

दिनांक: 12.02.2021

सेवा में,

कु०/श्री/श्रीमती/ जेहा सिंह
पुत्र/पुत्री/पति श्री
पता

विषय : पी-एच०डी० पाठ्यक्रम में पंजीकरण के सम्बन्ध में।

हिन्दी विषय में पी-एच०डी० उपाधि हेतु शोध कार्य करने के लिये आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की संस्तुतियों को कुलपति महोदय द्वारा सहर्ष अनुमोदित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

सम्भावित शोध शीर्षक: "डॉ० सुरेशचन्द्रा: सर्वज्ञान एवं कृति"शोध निर्देशक: डॉ०/प्र० कृष्णाकान्त चंद्र, ताराबंकीशोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की संस्तुति: स्वीकृत

अन्य टिप्पणी:

शोध उपाधि समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित निर्देशों में चिह्नंकित क्रम संख्या 1 का समयान्तर्गत पालन करें, ताकि तत्संबंधी अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. शोध कार्य हेतु पंजीकरण शुल्क रू० 3,000/- पत्र निर्गतीकरण की तिथि के एक माह के अन्दर जमा करें। यदि निर्धारित समयावधि में पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो शोध कार्य करने में आपकी अनिच्छा मानते हुए अभ्यर्थन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
2. यदि नामांकन संख्या की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र (नोटरी) दिया गया है, तो पंजीकरण शुल्क जमा करने के पूर्व अनिवार्यतः नामांकन संख्या प्राप्त कर शैक्षणिक विभाग को उपलब्ध करायें।
3. शोध उपाधि समिति द्वारा संशोधित शोध शीर्षक के अनुसार शोध संक्षेपिका में अपेक्षित संशोधनोपरान्त आवंटित शोध निर्देशक के माध्यम से पत्र निर्गतीकरण की तिथि से एक माह के अन्दर पुनः विचारार्थ प्रस्तुत करें।
4. शोध प्रबन्ध जमा करने की न्यूनतम अवधि 36 माह (3 वर्ष) एवं सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम अवधि 72 माह (6 वर्ष) होगी, जिसमें पाठ्यक्रम कार्य (कोर्स वर्क) की 6 माह की अवधि भी सम्मिलित रहेगी। शोध प्रबन्ध जमा किये जाने हेतु निर्धारित अवधि का आगणन शोध पंजीकरण तिथि (पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि) से किया जायेगा।
5. शोधार्थी/शोधार्थिनी को प्रत्येक छमाही के उपरान्त शोध निर्देशक द्वारा अग्रसारित विस्तृत शोध प्रगति आख्या रू० 5000/- सेमेस्टर शुल्क के साथ विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।
6. आपका शोध पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के शोध विनियम, 2016 में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पी-एच०डी० अध्यादेश, 2016 के अनुसार होगा, जिसका अवलोकन विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट से किया जा सकता है।

उप-कुलसचिव

प्रतिलिपि: शोध निर्देशक: डॉ०/प्र० कृष्णाकान्त चंद्र, जे० रू० रू० ताराबंकी
को सूचनार्थ।

उप-कुलसचिव



डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)

पत्रांक संख्या: लो०अ०वि० / शैक्ष० / 2021 / 2412

दिनांक: 12.02.2021

सेवा में,

कु० / श्री / श्रीमती / नीलसा रासक
पुत्र / पुत्री / पति श्री
पता

विषय : पी-एच०डी० पाठ्यक्रम में पंजीकरण के सम्बन्ध में।

..... विषय में पी-एच०डी० उपाधि हेतु शोध कार्य करने के लिये आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०) / विषय संयोजक की संस्तुतियों को कुलपति महोदय द्वारा सहर्ष अनुमोदित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

सम्भावित शोध शीर्षक: अज्ञात के कथा-साहित्य में माध्यम वार्थि परिवेश का मूल्यांकन

शोध निर्देशक: डॉ० / प्रो० अनिला विश्वकर्मा, जे. एल. एम., वाराणसी

शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०) / विषय संयोजक की संस्तुति: स्वीकृति

अन्य टिप्पणी:

शोध उपाधि समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित निर्देशों में चिह्नंकित क्रम संख्या 1 का समयान्तर्गत पालन करें, ताकि तत्संबंधी अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. शोध कार्य हेतु पंजीकरण शुल्क रू० 3,000/- पत्र निर्गतीकरण की तिथि के एक माह के अन्दर जमा करें। यदि निर्धारित समयवाधि में पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो शोध कार्य करने में आपकी अनिच्छा मानते हुए अभ्यर्थन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
2. यदि नामांकन संख्या की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र (नोटरी) दिया गया है, तो पंजीकरण शुल्क जमा करने के पूर्व अनिवार्यतः नामांकन संख्या प्राप्त कर शैक्षणिक विभाग को उपलब्ध करायें।
3. शोध उपाधि समिति द्वारा संशोधित शोध शीर्षक के अनुसार शोध संक्षेपिका में अपेक्षित संशोधनोपरान्त आवंटित शोध निर्देशक के माध्यम से पत्र निर्गतीकरण की तिथि से एक माह के अन्दर पुनः विचारार्थ प्रस्तुत करें।
4. शोध प्रबन्ध जमा करने की न्यूनतम अवधि 36 माह (3 वर्ष) एवं सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम अवधि 72 माह (6 वर्ष) होगी, जिसमें पाठ्यक्रम कार्य (कोर्स वर्क) की 6 माह की अवधि भी सम्मिलित रहेगी। शोध प्रबन्ध जमा किये जाने हेतु निर्धारित अवधि का आगणन शोध पंजीकरण तिथि (पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि) से किया जायेगा।
5. शोधार्थी/शोधार्थिनी को प्रत्येक छमाही के उपरान्त शोध निर्देशक द्वारा अग्रसारित विस्तृत शोध प्रगति आख्या रू० 5000/- सेमेस्टर शुल्क के साथ विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।
6. आपका शोध पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के शोध विनियम, 2016 में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पी-एच०डी० अध्यादेश, 2016 के अनुसार होगा, जिसका अवलोकन विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट से किया जा सकता है।

उप-कुलसचिव

प्रतिलिपि: शोध निर्देशक: डॉ० / प्रो० अज्ञात के कथा-साहित्य में माध्यम वार्थि परिवेश का मूल्यांकन को सूचनार्थ।

अप
उप-कुलसचिव

**डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)**

पत्रांक संख्या: लो०अ०वि० / शैक्ष० / 2021 / 2411

दिनांक: 12.02.2021

सेवा में,

कु०/श्री/श्रीमती/ फ़िरोज़ अहमद
पुत्र/पुत्री/पति श्री
पता

विषय : पी-एच०डी० पाठ्यक्रम में पंजीकरण के सम्बन्ध में।

हिन्दी विषय में पी-एच०डी० उपाधि हेतु शोध कार्य करने के लिये आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की संस्तुतियों को कुलपति महोदय द्वारा सहर्ष अनुमोदित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

सम्भावित शोध शीर्षक: हिन्दी का समकालीन आत्मकथा साहित्य: संवेदना और बिलप

शोध निर्देशक: डॉ०/प्र० अनुप कुमार पेटल, जनपद सहारा पी० सी० कावेय

शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की संस्तुति: स्वीकृत सुतानपुर

अन्य टिप्पणी:

शोध उपाधि समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित निर्देशों में चिह्नांकित क्रम संख्या 1 का समयान्तर्गत पालन करें, ताकि तत्संबंधी अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. शोध कार्य हेतु पंजीकरण शुल्क रू० 3,000/- पत्र निर्गतीकरण की तिथि के एक माह के अन्दर जमा करें। यदि निर्धारित समयावधि में पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो शोध कार्य करने में आपकी अनिच्छा मानते हुए अम्यर्थन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
2. यदि नामांकन संख्या की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र (नोटरी) दिया गया है, तो पंजीकरण शुल्क जमा करने के पूर्व अनिवार्यतः नामांकन संख्या प्राप्त कर शैक्षणिक विभाग को उपलब्ध करायें।
3. शोध उपाधि समिति द्वारा संशोधित शोध शीर्षक के अनुसार शोध संक्षेपिका में अपेक्षित संशोधनोपरान्त आवंटित शोध निर्देशक के माध्यम से पत्र निर्गतीकरण की तिथि से एक माह के अन्दर पुनः विचारार्थ प्रस्तुत करें।
4. शोध प्रबन्ध जमा करने की न्यूनतम अवधि 36 माह (3 वर्ष) एवं सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम अवधि 72 माह (6 वर्ष) होगी, जिसमें पाठ्यक्रम कार्य (कोर्स वर्क) की 6 माह की अवधि भी सम्मिलित रहेगी। शोध प्रबन्ध जमा किये जाने हेतु निर्धारित अवधि का आगणन शोध पंजीकरण तिथि (पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि) से किया जायेगा।
5. शोधार्थी/शोधार्थिनी को प्रत्येक छमाही के उपरान्त शोध निर्देशक द्वारा अग्रसारित विस्तृत शोध प्रगति आख्या रू० 5000/- सेमेस्टर शुल्क के साथ विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।
6. आपका शोध पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के शोध विनियम, 2016 में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पी-एच०डी० अध्यादेश, 2016 के अनुसार होगा, जिसका अवलोकन विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट से किया जा सकता है।

उप-कुलसचिव

प्रतिलिपि: शोध निर्देशक: डॉ०/प्र० अनुप कुमार पेटल, जनपद सहारा पी० सी० कावेय, सुतानपुर को सूचनार्थ।

Choi
उप-कुलसचिव



डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)

पत्रांक संख्या: लो०अ०वि० / शैक्ष० / 2021 / 2410

दिनांक: 12.02.2021

सेवा में,

कु० / श्री / श्रीमती / प्रियंका कौर
पुत्र / पुत्री / पति श्री
पता

विषय : पी-एच०डी० पाठ्यक्रम में पंजीकरण के सम्बन्ध में।

..... विषय में पी-एच०डी० उपाधि हेतु शोध कार्य करने के लिये आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०) / विषय संयोजक की संस्तुतियों को कुलपति महोदय द्वारा सहर्ष अनुमोदित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

सम्भावित शोध शीर्षक: शीतांजलि के कथा-साहित्य में अभिव्यक्त नारी-जीवन

शोध निर्देशक: डॉ०/प्रॉ० रीना सिंह, जे० एल० एम०, वाराणसी

शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०) / विषय संयोजक की संस्तुति: स्वीकृत

अन्य टिप्पणी:

शोध उपाधि समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित निर्देशों में चिह्नंकित क्रम संख्या का समयान्तर्गत पालन करें, ताकि तत्संबंधी अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. शोध कार्य हेतु पंजीकरण शुल्क रू० 3,000/- पत्र निर्गतीकरण की तिथि के एक माह के अन्दर जमा करें। यदि निर्धारित समयावधि में पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो शोध कार्य करने में आपकी अनिच्छा मानते हुए अभ्यर्थन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
2. यदि नामांकन संख्या की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र (नोटीरी) दिया गया है, तो पंजीकरण शुल्क जमा करने के पूर्व अनिवार्यतः नामांकन संख्या प्राप्त कर शैक्षणिक विभाग को उपलब्ध करायें।
3. शोध उपाधि समिति द्वारा संशोधित शोध शीर्षक के अनुसार शोध संक्षेपिका में अपेक्षित संशोधनोपरान्त आवंटित शोध निर्देशक के माध्यम से पत्र निर्गतीकरण की तिथि से एक माह के अन्दर पुनः विचारार्थ प्रस्तुत करें।
4. शोध प्रबन्ध जमा करने की न्यूनतम अवधि 36 माह (3 वर्ष) एवं सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम अवधि 72 माह (6 वर्ष) होगी, जिसमें पाठ्यक्रम कार्य (कोर्स वर्क) की 6 माह की अवधि भी सम्मिलित रहेगी। शोध प्रबन्ध जमा किये जाने हेतु निर्धारित अवधि का आगणन शोध पंजीकरण तिथि (पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि) से किया जायेगा।
5. शोधार्थी/शोधार्थिनी को प्रत्येक छमाही के उपरान्त शोध निर्देशक द्वारा अग्रसारित विस्तृत शोध प्रगति आख्या रू० 5000/- सेमेस्टर शुल्क के साथ विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।
6. आपका शोध पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के शोध विनियम, 2016 में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पी-एच०डी० अध्यादेश, 2016 के अनुसार होगा, जिसका अवलोकन विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट से किया जा सकता है।

उप-कुलसचिव

प्रतिलिपि: शोध निर्देशक: डॉ०/प्रॉ० रीना सिंह, जे० एल० एम०, वाराणसी
..... को सूचनार्थ।

उप-कुलसचिव



डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)

पत्रांक संख्या: लो०अ०वि०/शैक्ष०/2021/2409

दिनांक: 12.02.2021

सेवा में,

श्री०/श्री/श्रीमती/ रविन्द्र प्रताप सिंह
पुत्र/पुत्री/पति श्री
पता

विषय : पी-एच०डी० पाठ्यक्रम में पंजीकरण के सम्बन्ध में।

रविन्द्र विषय में पी-एच०डी० उपाधि हेतु शोध कार्य करने के लिये आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की संस्तुतियों को कुलपति महोदय द्वारा सहर्ष अनुमोदित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

सम्भावित शोध शीर्षक: युवा पुरुष तुलसी का आत्मसंदाप और समाचरित्व

शोध निर्देशक: डॉ०/प्रॉ० पवन कुमार सिंह, सीकेन

शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की संस्तुति: स्वीकृति

अन्य टिप्पणी:

शोध उपाधि समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित निर्देशों में चिहनांकित क्रम संख्या 1 का समयान्तर्गत पालन करें, ताकि तत्संबंधी अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. शोध कार्य हेतु पंजीकरण शुल्क रू० 3,000/- पत्र निर्गतीकरण की तिथि के एक माह के अन्दर जमा करें। यदि निर्धारित समयवाधि में पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो शोध कार्य करने में आपकी अनिच्छा मानते हुए अभ्यर्थन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
2. यदि नामांकन संख्या की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र (नोटरी) दिया गया है, तो पंजीकरण शुल्क जमा करने के पूर्व अनिवार्यतः नामांकन संख्या प्राप्त कर शैक्षणिक विभाग को उपलब्ध करायें।
3. शोध उपाधि समिति द्वारा संशोधित शोध शीर्षक के अनुसार शोध संक्षेपिका में अपेक्षित संशोधनोपरान्त आवंटित शोध निर्देशक के माध्यम से पत्र निर्गतीकरण की तिथि से एक माह के अन्दर पुनः विचारार्थ प्रस्तुत करें।
4. शोध प्रबन्ध जमा करने की न्यूनतम अवधि 36 माह (3 वर्ष) एवं सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम अवधि 72 माह (6 वर्ष) होगी, जिसमें पाठ्यक्रम कार्य (कोर्स वर्क) की 6 माह की अवधि भी सम्मिलित रहेगी। शोध प्रबन्ध जमा किये जाने हेतु निर्धारित अवधि का आगणन शोध पंजीकरण तिथि (पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि) से किया जायेगा।
5. शोधार्थी/शोधार्थिनी को प्रत्येक छमाही के उपरान्त शोध निर्देशक द्वारा अग्रसारित विस्तृत शोध प्रगति आख्या रू० 5000/- सेमेस्टर शुल्क के साथ विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।
6. आपका शोध पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के शोध विनियम, 2016 में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पी-एच०डी० अध्यादेश, 2016 के अनुसार होगा, जिसका अवलोकन विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट से किया जा सकता है।

उप-कुलसचिव

प्रतिलिपि: शोध निर्देशक: डॉ०/प्रॉ० पवन कुमार सिंह, सीकेन, अयोध्या
को सूचनार्थ।

उप-कुलसचिव

**डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)**

पत्रांक संख्या: लो०अ०वि०/शैक्ष०/2021/2408

दिनांक: 12.02.2021

सेवा में,

कृ०/श्री/श्रीमती/ सुधी प्रकाश मिश्रा
पुत्र/पुत्री/पति श्री
पता

विषय : पी-एच०डी० पाठ्यक्रम में पंजीकरण के सम्बन्ध में।

हिन्दी विषय में पी-एच०डी० उपाधि हेतु शोध कार्य करने के लिये आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की संस्तुतियों को कुलपति महोदय द्वारा सहर्ष अनुमोदित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

सम्पादित शोध शीर्षक: निराशा साहित्य में राष्ट्रीय मूल्यों की अभिव्यक्ति - आधुनिक सन्दर्भ में

शोध निर्देशक: डॉ०/प्र० प्रतिमा सिंह, के. एन. आई., सुल्तानपुर

शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की संस्तुति: स्वीकृत

अन्य टिप्पणी:

शोध उपाधि समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित निर्देशों में चिह्नंकित क्रम संख्या 1 का समयान्तर्गत पालन करें, ताकि तत्संबंधी अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. शोध कार्य हेतु पंजीकरण शुल्क ₹० 3,000/- पत्र निर्गतीकरण की तिथि के एक माह के अन्दर जमा करें। यदि निर्धारित समयावधि में पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो शोध कार्य करने में आपकी अनिच्छा मानते हुए अभ्यर्थन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
2. यदि नामांकन संख्या की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र (नोटरी) दिया गया है, तो पंजीकरण शुल्क जमा करने के पूर्व अनिवार्यतः नामांकन संख्या प्राप्त कर शैक्षणिक विभाग को उपलब्ध करायें।
3. शोध उपाधि समिति द्वारा संशोधित शोध शीर्षक के अनुसार शोध संक्षेपिका में अपेक्षित संशोधनोपरान्त आवंटित शोध निर्देशक के माध्यम से पत्र निर्गतीकरण की तिथि से एक माह के अन्दर पुनः विचारार्थ प्रस्तुत करें।
4. शोध प्रबन्ध जमा करने की न्यूनतम अवधि 36 माह (3 वर्ष) एवं सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम अवधि 72 माह (6 वर्ष) होगी, जिसमें पाठ्यक्रम कार्य (कोर्स वर्क) की 6 माह की अवधि भी सम्मिलित रहेगी। शोध प्रबन्ध जमा किये जाने हेतु निर्धारित अवधि का आगणन शोध पंजीकरण तिथि (पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि) से किया जायेगा।
5. शोधार्थी/शोधार्थिनी को प्रत्येक छमाही के उपरान्त शोध निर्देशक द्वारा अग्रसारित विस्तृत शोध प्रगति आख्या ₹० 5000/- सेमेस्टर शुल्क के साथ विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।
6. आपका शोध पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के शोध विनियम, 2016 में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पी-एच०डी० अध्यादेश, 2016 के अनुसार होगा, जिसका अवलोकन विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट से किया जा सकता है।

उप-कुलसचिव

प्रतिलिपि: शोध निर्देशक: डॉ०/प्र० प्रतिमा सिंह, के. एन. आई., सुल्तानपुर
को सूचनार्थ।

and
उप-कुलसचिव

**डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)**

पत्रांक संख्या: लो०अ०वि०/शैक्ष०/2021/2407

दिनांक: 12.02.2021

सेवा में,

कृ०/श्री/श्रीमती/ हार्सेन्ड कुमार त्रिवेदी
 पुत्र/पुत्री/पति श्री
 पता

विषय : पी-एच०डी० पाठ्यक्रम में पंजीकरण के सम्बन्ध में।

हि-डी विषय में पी-एच०डी० उपाधि हेतु शोध कार्य करने के लिये आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की संस्तुतियों को कुलपति महोदय द्वारा सहर्ष अनुमोदित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

सम्भावित शोध शीर्षक: प्रवासी हिन्दी साहित्य में उपन्यासों के विकास का
समीक्षात्मक अध्ययन

शोध निर्देशक: डॉ०/प्रॉ० नीलम तिवारी, गानपत

शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की संस्तुति: स्वीकृत

अन्य टिप्पणी:

शोध उपाधि समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित निर्देशों में चिह्नंकित क्रम संख्या 1 का समयान्तर्गत पालन करें, ताकि तत्संबंधी अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. शोध कार्य हेतु पंजीकरण शुल्क रू० 3,000/- पत्र निर्गतीकरण की तिथि के एक माह के अन्दर जमा करें। यदि निर्धारित समयवाधि में पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो शोध कार्य करने में आपकी अनिच्छा मानते हुए अभ्यर्थन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
2. यदि नामांकन संख्या की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र (नोटरी) दिया गया है, तो पंजीकरण शुल्क जमा करने के पूर्व अनिवार्यतः नामांकन संख्या प्राप्त कर शैक्षणिक विभाग को उपलब्ध करायें।
3. शोध उपाधि समिति द्वारा संशोधित शोध शीर्षक के अनुसार शोध संक्षेपिका में अपेक्षित संशोधनोपरान्त आवंटित शोध निर्देशक के माध्यम से पत्र निर्गतीकरण की तिथि से एक माह के अन्दर पुनः विचारार्थ प्रस्तुत करें।
4. शोध प्रबन्ध जमा करने की न्यूनतम अवधि 36 माह (3 वर्ष) एवं सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम अवधि 72 माह (6 वर्ष) होगी, जिसमें पाठ्यक्रम कार्य (कोर्स वर्क) की 6 माह की अवधि भी सम्मिलित रहेगी। शोध प्रबन्ध जमा किये जाने हेतु निर्धारित अवधि का आगणन शोध पंजीकरण तिथि (पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि) से किया जायेगा।
5. शोधार्थी/शोधार्थिनी को प्रत्येक छमाही के उपरान्त शोध निर्देशक द्वारा अग्रसारित विस्तृत शोध प्रगति आख्या रू० 5000/- सेमेस्टर शुल्क के साथ विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।
6. आपका शोध पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के शोध विनियम, 2016 में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पी-एच०डी० अध्यादेश, 2016 के अनुसार होगा, जिसका अवलोकन विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट से किया जा सकता है।

उप-कुलसचिव

प्रतिलिपि: शोध निर्देशक: डॉ०/प्रॉ० नीलम तिवारी, गानपत साहारा पी० बॉ० कालेज,
मुल्तानपुर को सूचनार्थ।

उप-कुलसचिव



डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)

पत्रांक संख्या: लो०अ०वि०/शैक्ष०/2021/2406

दिनांक: 12.02.2021

सेवा में,

कृ०/श्री/श्रीमती/..... दीपक कुमार वर्मा
पुत्र/पुत्री/पति श्री
पता

विषय : पी-एच०डी० पाठ्यक्रम में पंजीकरण के सम्बन्ध में।

..... विषय में पी-एच०डी० उपाधि हेतु शोध कार्य करने के लिये आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की संस्तुतियों को कुलपति महोदय द्वारा सहर्ष अनुमोदित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

सम्भावित शोध शीर्षक:
.....

शोध निर्देशक: डॉ०/प्रॉ०
.....

शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की संस्तुति:
.....

अन्य टिप्पणी:

शोध उपाधि समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित निर्देशों में चिहनांकित क्रम संख्या 1 का समयान्तर्गत पालन करें, ताकि तत्संबंधी अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. शोध कार्य हेतु पंजीकरण शुल्क रु० 3,000/- पत्र निर्गतीकरण की तिथि के एक माह के अन्दर जमा करें। यदि निर्धारित समयावधि में पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो शोध कार्य करने में आपकी अनिच्छा मानते हुए अभ्यर्थन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
2. यदि नामांकन संख्या की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र (नोटरी) दिया गया है, तो पंजीकरण शुल्क जमा करने के पूर्व अनिवार्यतः नामांकन संख्या प्राप्त कर शैक्षणिक विभाग को उपलब्ध करायें।
3. शोध उपाधि समिति द्वारा संशोधित शोध शीर्षक के अनुसार शोध संक्षेपिका में अपेक्षित संशोधनोपरान्त आवंटित शोध निर्देशक के माध्यम से पत्र निर्गतीकरण की तिथि से एक माह के अन्दर पुनः विचारार्थ प्रस्तुत करें।
4. शोध प्रबन्ध जमा करने की न्यूनतम अवधि 36 माह (3 वर्ष) एवं सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम अवधि 72 माह (6 वर्ष) होगी, जिसमें पाठ्यक्रम कार्य (कोर्स वर्क) की 6 माह की अवधि भी सम्मिलित रहेगी। शोध प्रबन्ध जमा किये जाने हेतु निर्धारित अवधि का आगणन शोध पंजीकरण तिथि (पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि) से किया जायेगा।
5. शोधार्थी/शोधार्थिनी को प्रत्येक छमाही के उपरान्त शोध निर्देशक द्वारा अग्रसारित विस्तृत शोध प्रगति आख्या रु० 5000/- सेमेस्टर शुल्क के साथ विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।
6. आपका शोध पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के शोध विनियम, 2016 में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पी-एच०डी० अध्यादेश, 2016 के अनुसार होगा, जिसका अवलोकन विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट से किया जा सकता है।

उप-कुलसचिव

प्रतिलिपि: शोध निर्देशक: डॉ०/प्रॉ०
..... को सूचनार्थ।

.....
उप-कुलसचिव